मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

जून-जुलाई 2014, सत्र में दिये गये आश्वासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग **दिनांक 21.07.2014**

आश्वासन क्रमांक	कार्यवाही का दिनांक	प्रश्न का प्रकार	प्रश्न संख्या	प्रश्न क्रं.	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
883	21.07.2014	ता.प्र.	01	2541	मध्याह्न भोजन योजना में हुई अनियमितता को पारदर्शी एवं सुचारू बनाने के लिये नियमों में संशोधन तथा कार्यवाही की जाना ।	हम मध्याह्न भोजन को पारदर्शी और ज्यादा सटीक बनाने के लिए इसके नियमों में परिवर्तमन कर रहे है और ज्यादा इसके नियम हम व्यवस्थित कर अच्छे नियम बना रहे है । प्रकरण सामने आएगा तो हम उस पर कार्यवाही करेंगे और नियम भी बनाएंगे ।		
884	21.07.2014	ता.प्र.	02	4016	(1) जबलपुर जिले के बरगी विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना के अंतर्गत इंद्रानगर-भैरोघाट सड़क के अपूर्ण निर्माण कार्य तक पूर्ण कराया जाना। (2) इंद्रानगर-भैरोघाट सड़क मार्ग के नौरादेही वन अभ्यारण्य के भाग पर सड़क निर्माण हेतु केन्द्र सरकार से स्वीकृति ली जाकर निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाना ।	(1) एक 10.70 और दूसरी तरफ 11.87 किलोमीटर सड़क दो टुकडों में बनाने की कार्यवाही हम प्रयास करेंगे कि प्राथमिकता से और जल्दी से जल्दी इस काम को कराया जायें ठेकेदार से भी कहा है और दिसमबर अंत तक हम इस सड़क का काम पूरा करवा देंगे । दोनों तरफ की सड़क हम बना देंगे । (2) हम स्वयं दिल्ली जाकर उसकी स्वीकृति प्राप्त करेंगे और जो सड़क का दो किलोमीटर का भाग शेष है इसको भी हम बनाने का काम करेंगे ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

जून-जुलाई 2014, सत्र में दिये गये आश्वासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग								दिनांक 21.07.2014
आश्वासन क्रमांक	कार्यवाही का दिनांक	प्रश्न का प्रकार	प्रश्न संख्या	प्रश्न क्रं.	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
885	21.07.2014	ता.प्र.	04	3697	प्रदेश में तथा हरदा जिले के टिमरनी विधान सभा क्षेत्र में आदिवासी स्व सहायता समूहों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एन.आर.एल.एम. सघन कार्य योजना को हरदा जिला सहित 15 जिलों में विस्तारित किया जाना ।	डी.पी.आई.पी. के 15 जिलों भी अब मध्यप्रदेश में शामिल कर लिये जाएंगे । हम यह परीक्षण करा लेंगे कि कितने समूह बन सकते है और क्या स्व रोजगार व्यवस्था वहां पर हो सकती है और हम बैको के साथ कनवरजेन्स करके और ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिलाने की व्यवस्था करेंगे ।		
886	21.07.2014	ता.प्र.	05	1147	सिवनी जिले के सिंघोड़ी से भालीवाड़ा तक मार्ग का निर्माण अनुबंधानुसार निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जाना ।	अनुबंधानुसार उक्त कार्य दिनांक 12.12.14 तक पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

जून-जुलाई 2014, सत्र में दिये गये आश्वासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग								दिनांक 21.07.2014
आश्वासन क्रमांक	कार्यवाही का दिनांक	प्रश्न का प्रकार	प्रश्न संख्या	प्रश्न क्रं.	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
887	21.07.2014	ता.प्र.	06	3974	(1) देवास जिले के देवास विधान सभा क्षेत्र में ग्राम उपडी से मोचीखेड़ी एवं भनोली से नकंलग ग्रेवल मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाना । (2) देवास विधान सभा क्षेत्र के ग्राम लसूडिया के सड़क मार्ग का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत करवाया जाना ।	(1) उपडी से ग्राम मोचीखेड़ी एवं भनोली से नकंलग ग्रेवल सड़क का कार्य 2014-15 में पूर्ण हो जावेंगे । (2) ग्राम लसूडिया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत जोड़ा जा रहा है ।		
888	21.07.2014	ता.प्र.	08	1916	नरसिंहपुर जिले के तेंदूखेड़ा विधान सभा क्षेत्र में शाहपुर-खड़ई मार्ग पर शक्कर नदी पर पुल का निर्माण कराया जाना ।	पुल का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराने के प्रयास किये जा रहे है ।		
889	21.07.2014	ता.प्र.	09	4244	सागर एवं रायसेन जिले के नरयावली विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधूरे निर्माण कार्यो को समयावधि में पूर्ण कराया जाना एवं समयावधि में कार्य पूर्ण न करने वाली निर्माण एजेन्सी के विरूद्ध अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाना ।	राज्य मद से राशि उपलब्ध करवा कर प्रथम चरण की सड़कें भी हम ठेके से ही करवायेंगे, ताकि वह जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जायें । रायसेन की भी करवा देंगे ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

जून-जुलाई 2014, सत्र में दिये गये आश्वासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग								दिनांक 21.07.2014
आश्वासन क्रमांक	कार्यवाही का दिनांक	प्रश्न का प्रकार	प्रश्न संख्या	प्रश्न क्रं.	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
890	21.07.2014	ता.प्र.	14	1026	सतना जिले की जनपद पंचायत सोहावल के अंतर्गत ग्राम पंचायत बेला के पूर्व सरपंच द्वारा फर्जी हस्ताक्षर कर स्टॉक सामग्री की गबन संबंधी शिकायत में हस्तलिपि सत्यापन कराकर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना ।	राज्य परीक्षक विवादित दस्तावेज पु.मु. की रिपोर्ट आने पर अंतिम निष्कर्ष दिया जावेगा । परीक्षण रिपोर्ट अपेक्षित है ।		
891	21.07.2014	ता.प्र.	25	3868	(1) उज्जैन जिले के घट्टिया विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्माणाधीन सड़को को शीघ्र पूर्ण कराया जाना । (2) प्रस्तावित सड़कों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कराई जाना ।	(1) इन सड़को को पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है । (2) 30 सड़कों का निर्माण होना प्रस्तावित है ।		
892	21.07.2014	परि.ता.	06	546	नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पचामा, विकासखण्ड बाबई चिचली एवं कजरोटा विकासखण्ड साईखेड़ा के सरपंचों के विरूद्ध म.प्र.पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना ।	अधिनियम की धारा 40(1) के अंतर्गत प्रावधानित समय-सीमा में प्रकरण गुण-दोषों के आधार पर निराकृत किया जायेगा।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

जून-जुलाई 2014, सत्र में दिये गये आश्वासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग								दिनांक 21.07.2014
आश्वासन क्रमांक	कार्यवाही का दिनांक	प्रश्न का प्रकार	प्रश्न संख्या	प्रश्न क्रं.	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
893	21.07.2014	परि.ता.	08	1148	(1) सिवनी जिले में भीमगढ़ कालोनी से पलारी तक के अपूर्ण मार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाना । (2) निर्माण कार्य निश्चित समयावधि में पूर्ण न करने के दोषी एजेन्सी के विरूद्ध अनुबंध की शर्तो के अनुसार वसूली की कार्यवाही किया जाना ।	(1) उक्त कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है । (2) शेष राशि की वसूली की कार्यवाही की जा रही है ।		
894	21.07.2014	परि.ता.	10	1474	भिण्ड जिले के रौन विकासखण्ड के अंतर्गत ग्राम पंचायत लहार, मछण्ड, लोहचरा, मोरखीचाचीपुरा तथा लहार विकासखण्ड की ग्राम पंचायत काथा, मडोरी एवं अजनार कुरथर गेंथरी के सरपंचों एवं सचिवों के विरूद्ध प्राप्त अनियमितताओं की शिकायतों की जांच कराई जाकर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना ।	प्राप्त शिकायतों में से 02 की जांच प्रचलित है एवं एक शिकायत में वसूली की कार्यवाही की कार्यवाही की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों से जांच कराई जा रही है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

जून-जुलाई 2014, सत्र में दिये गये आश्वासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग						दिनांक 21.07.2014		
आश्वासन क्रमांक	कार्यवाही का दिनांक	प्रश्न का प्रकार	प्रश्न संख्या	प्रश्न क्रं.	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
895	21.07.2014	परि.ता.	22	2431	जिले खण्डवा की जिला जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में परफारमेंस ग्रान्ट योजना के अंतर्गत कराये जा रहे निर्माण कार्यो शीघ्र पूर्ण कराया जाना तथा विलंब के लिए उत्तरदायी निर्माण एजेन्सियों पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना ।	प्रगतिरत् एवं अप्रारंभ कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु संबंधित एजेंसी को निर्देशित किया गया है । विलंब का उत्तरदायित्व निर्माण एजेंसी का है । प्रगतिरत् कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराये जाने के प्रयास किये जा रहे है ।		
896	21.07.2014	परि.ता.	24	2623	(1) सीधी जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत शेष निर्माणाधीन मार्गो को शीघ्र पूर्ण कराया जाना । (2) सीधी जिले में भरसेड़ी से सरई एवं सरई समुद के मध्य अपूर्ण निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जाना । (3) सीधी जिले में धौहनी से रजनिया मार्ग का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराया जाना ।	(1) शेष निर्माणाधीन 30 मार्गो को शीघ्र पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है । (2) मार्ग को शीघ्र पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है । (3) वर्तमान में ठेकेदार को 6 माह की समयावृद्धि दी जाकर कार्य को शीघ्र कराने का प्रयास किया जा रहा है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

जून-जुलाई 2014, सत्र में दिये गये आश्वासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग								दिनांक 21.07.2014
आश्वासन क्रमांक	कार्यवाही का दिनांक	प्रश्न का प्रकार	प्रश्न संख्या	प्रश्न क्रं.	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
897	21.07.2014	परि.ता.	32	2838	रीवा जिले की तहसील मऊगंज के अंतर्गत सेवा सहकारी समिति मर्यादित द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना एवं खाद्य सामग्री सहित जीवनोपयोगी वस्तुओं के गबन, अपयोजन एवं कालाबाजारी के प्रकरण की जांच कराकर विधिसम्मत कार्यवाही कराई जाना ।	प्रकरण की विवेचना जारी है । एकत्रित साक्ष्य के आधार पर प्रकरण का विधि सम्मत निराकरण किया जावेगा ।		
898	21.07.2014	परि.ता.	74	4072	छिंदवाड़ा जिले की तहसील बिछुआ में ग्राम बडोसा के पास नदी/नाले पर पुलों का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जायें।	कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है ।		
899	21.07.2014	परि.ता.	76	4088	ग्वालियर जिले के भितरवार विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत धन्नू के चक से कछौआ ऐराया रोड तक का कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाना ।	वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है ।		
900	21.07.2014	अता.प्र.	03	430	प्रदेश में राजीव गांधी जल ग्रहण प्रबंधन मिशन के अंतर्गत आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजना के कार्यो से वर्तमान में पदस्थ अन्य विभागों की सदस्यों को हटाया जाना ।	कार्यवाही पूर्ण होते ही आई.डब्ल्यू.एम.पी परियोजनाओं में वर्तमान मे पदस्थ अन्य विभागों के टीम सदस्यों को हटा दिया जावेगा ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

जून-जुलाई 2014, सत्र में दिये गये आश्वासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग						दिनांक 21.07.2014		
आश्वासन क्रमांक	कार्यवाही का दिनांक	प्रश्न का प्रकार	प्रश्न संख्या	प्रश्न क्रं.	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
901	21.07.2014	अता.प्र.	14	2190	मुरैना जिले की ग्राम पंचायत पिपरई के सचिव द्वारा सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर कर राशि के आहरण किये जाने की जांच कराकर नियमानुसार सचिव के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना ।	शिकायत की जांच कर अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) मुरैना द्वारा कराई जा रही है । जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।		
902	21.07.2014	अता.प्र.	33	3337	देवास जिले के विधान सभा क्षेत्र सोनकच्छ के ग्राम पंचायत देव गुराडिया के पंच परमेश्वर योजनान्तर्गत निर्माण कार्य में दोषी पाये गये सचिव एवं सरपंच के विरूद्ध राशि की वसूली एवं एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाना ।	प्रकरण में दोषी सचिव, श्री मेहरबान सिंह को निलंबित किया गया तथा सरपंच के विरूद्ध म.प्र.पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 40 के तहत एवं धारा 92 के तहत वसूली हेतु अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) को प्रकरण भेजा गया है । मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत टोकखुर्द के पत्र क्रमांक द्वारा एफ.आई.आर. कराने हेतु थाना प्रभारी, पुलिस थाना, टोंकखुर्द जिला देवास को लिखा गया है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

जून-जुलाई 2014, सत्र में दिये गये आश्वासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | **दिनांक 21.07.2014**

आश्वासन क्रमांक	कार्यवाही का दिनांक	प्रश्न का प्रकार	प्रश्न संख्या	प्रश्न क्रं.	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
903	21.07.2014	अता.प्र.	51	3785	बालाघाट जिले के विकासखण्ड लांजी एवं किरनापुर में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत निर्माण कार्य में विलंब के दोषी ठेकेदारों से राशि की वसूली तथा शेष कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराया जाना ।	जिन ठेकेदारों के कारण कार्य में विलंब हुआ है उनके विरूद्ध अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुये आर.आर.सी. प्रकरण तैयार कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है । वर्तमान में शेष कार्यो की पुनः निविदा बुलाकर नवीन ठेकेदारों से कार्य करवाया जा रहा है ।		
904	21.07.2014	अता.प्र.	53	3816	झाबुआ जिले के अंतर्गत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के माध्यम से लंबित निर्माण कार्यो को मार्च 2015 तक पूर्ण कराया जाना ।	लंबित कार्य मार्च 2015 तक पूर्ण कर लिये जावेंगे ।		
905	21.07.2014	अता.प्र.	76	4166	सतना जिले की जनपद पंचायत सोहावल के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच शीघ्र पूर्ण कराई जाना ।	प्रकरण में विभागीय जांच की कार्यवाही प्रचलन में है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

जून-जुलाई 2014, सत्र में दिये गये आश्वासन

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग **दिनांक 21.07.2014**

आश्वासन क्रमांक	कार्यवाही का दिनांक	प्रश्न का प्रकार	प्रश्न संख्या	प्रश्न क्रं.	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
906	21.07.2014	परि.ता.	15	1736	किन्नरों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु केन्द्र सरकार की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट का क्रियान्वयन कराया जाना ।	रिपोर्ट परीक्षणाधीन है ।		
907	21.07.2014	परि.ता.	93	4324	महात्मा गांधी ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में विभिन्न योजनाओं में अशासकीय संस्थाओं को प्रशिक्षण एवं भुगतान में की गई अनियमितताओं की जांच कराई जाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही कराया जाना ।	जांच 15 दिवस में कराई जावेगी । जांच 10 दिवस में पूर्ण की जावेगी ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

जून-जुलाई 2014, सत्र में दिये गये आश्वासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग दिनांक 21.07.2014

आश्वासन क्रमांक	कार्यवाही का दिनांक	प्रश्न का प्रकार	प्रश्न संख्या	प्रश्न क्रं.	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
908	21.07.2014	परि.ता.	50	3518	बड़वानी विधान सभा क्षेत्र में (पाटी) के अंतर्गत ग्राम पंचायत चौकी उबादगढ़, पिपरकुंड, कालाखेत में माह जनवरी 2014 से मई 2014 तक राशन दुकान संचालकों द्वारा खाद्यान्न वितरण के संबंध में विधायक बड़वानी द्वारा दिनांक 13.06.2014 को की गई शिकायत की जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना ।	पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर जांच कराई जा रही है, जांच एक माह में पूर्ण कर ली जाएगी । जांच में प्राप्त प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी ।		
909	21.07.2014	परि.ता.	63	3787	होशंगाबाद संभाग के विभिन्न जिलों में वर्ष 2012-13 से 2013-14 तक क्रय किये गये गेहूं के भण्डारण एवं रख-रखाव में लापरवाही बरते जाने से हुई क्षति के अपलेखन की कार्यवाही उपरांत दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना।	निर्धारित प्रक्रियानुसार भंडार अपलेखन की कार्यवाही प्रचलित है । कार्यवाही उपरान्त हानि की गणना की जा सकेगी।		
910	21.07.2014	परि.ता.	75	4083	बालाघाट जिले के गर्रा संग्रहण केन्द्र में बरसात के दौरान अधिकारियों की लापरवाही से धान की हुई क्षति की जांच कराई जाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना ।	जांच में दोषी पाए जाने पर अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

जून-जुलाई 2014, सत्र में दिये गये आश्वासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग दिनांक 21.07.2014

आश्वासन क्रमांक	कार्यवाही का दिनांक	प्रश्न का प्रकार	प्रश्न संख्या	प्रश्न क्रं.	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
911	21.07.2014	परि.ता.	106	4396	छतरपुर जिले में सेवा सहकारी समिति डेकौली की उचित मूल्य की दुकान देवपुर में हुई अनियमितताओं के दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना ।	प्रकरण में निर्णयानुसार दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी ।		
912	21.07.2014	अता.प्र.	20	2683	मुरैना जिले की सेवा सहकारी संस्था खान्डोली में वर्ष 2008 से 17.10.2011 तक जारी किये गये राशन कार्डो में हुई अनियमितता की जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना ।	जांच के बाद दोषी पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी ।		
913	21.07.2014	अता.प्र.	29	3085	मंदसौर जिले में घरेलू गैस कम्पनियों के विरूद्ध जनवरी 2010 से प्रश्न दिनांक तक अनियमितता, कालाबाजारी एवं अन्य शिकायतों के संबंध में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना ।	शेष जांचों में प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिये गये है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

जून-जुलाई 2014, सत्र में दिये गये आश्वासन

सहकारिता विभाग **दिनांक 21.07.2014**

आश्वासन क्रमांक	कार्यवाही का दिनांक	प्रश्न का प्रकार	प्रश्न संख्या	प्रश्न क्रं.	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
914	21.07.2014	परि.ता.	52	3613	बालाघाट जिले की सेवा सहकारी समिति मोहगांव घाट के अध्यक्ष एवं संचालक के विरूद्ध म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना ।	श्री राजेश चौहान को अध्यक्ष एवं संचालक पद से निरर्हित करने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 48-क क के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		
915	21.07.2014	परि.ता.	59	3726	भोपाल स्थित अपेक्स बैंक एम.पी.नगर की शाखा में वर्ष 2009 से 2013 तक ऋण वसूली प्रकरणों में हुई अनियमितताओं के संबंध में शीघ्र जांच/परीक्षण कराकर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना ।	शाखा प्रबंधक द्वारा नवीन तथ्य प्रस्तुत करते हुये प्रकरण में अपेक्स बैंक से मार्ग दर्शन चाहा गया है, जिसके कारण प्रकरण परीक्षणाधीन है । तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।		
916	21.07.2014	परि.ता.	70	3959	इंदौर क्लाथ मार्केट गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा अवैध रूप से भूमि का विक्रय किये जाने की जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना ।	कलेक्टर, इंदौर से इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जायेगा ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

जून-जुलाई 2014, सत्र में दिये गये आश्वासन

सहकारिता विभाग

दिनांक 21.07.2014

आश्वासन क्रमांक	कार्यवाही का दिनांक	प्रश्न का प्रकार	प्रश्न संख्या	प्रश्न क्रं.	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
917	21.07.2014	परि.ता.	90	4259	सिंगरौली जिले की आदिम जाति सेवा सहकारी समिति महुआगांव का रिकार्ड विधिवत संधारण न करने, वितरण पंजीयन कार्यवाही को पूर्ण न कराने, जांच अधिकारी को सहयोग प्रदान न करने एवं लापरवाही बरतने के दोषी दूसरे समिति प्रबंधक के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना ।	दूसरे दोषी के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है ।		
918	21.07.2014	अता.प्र.	39	3641	रीवा जिले की त्यौंथर शाखा से संबंधित प्राथमिक साख सहकारी संस्था मर्यादित परसिया में वर्ष 2012-13 के दौरान गेहूं खरीदी के भुगतान में हुई अनियमितताओं की जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना।	जांच निष्कर्ष अनुसार कार्यवाही की जावेगी।		
919	21.07.2014	अता.प्र.	56	3961	इंदौर स्थित इंदौर क्लाथ मार्केट गृह निर्माण सहकारी संस्था इंदौर की भूमि का अवैध रूप से विक्रय किये जाने की जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना ।	जी हां । विवेचना में और भी अन्य आरोपीगणों के विरूद्ध चालानी साक्ष्य प्राप्त होते है तो कार्यवाही की जायेगी ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जून-जुलाई 2014, सत्र में दिये गये आश्वासन

सहकारिता विभाग दिनांक 21.07.2014

आश्वासन क्रमांक	कार्यवाही का दिनांक	प्रश्न का प्रकार	प्रश्न संख्या	प्रश्न क्रं.	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
920	21.07.2014	अता.प्र.	58	3981	सेंटर कॉपरेटिव बैंक देवास से संबद्ध सेवा सहकारी संस्थाओं में एकीकृत सहकारी परियोजना के अंतर्गत काउन्टर की खरीदी में हुई अनियमितताओं की जांच संयुक्त आयुक्त/सहकारिता उज्जैन से कराई जाकर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना ।	इस संबंध में संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, उज्जैन संभाग से जांच कराई जा रही है । जांच निष्कर्ष में जवाबदारी तय होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।		
921	21.07.2014	अता.प्र.	92	4290	सागर जिले में आजाद नगर पुलिस गृह निर्माण समिति द्वारा धोखाधड़ी कर पुलिसकर्मियों से इतर व्यक्तियों को अवैधानिक रूप से प्लॉट बेचे जाने की जांच कराई जाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना ।	उत्तरांश ''क'' अनुसार संस्था की मूल पंजीकृत उपविधि को खोजन अथवा द्वितीयक साक्ष्य एकत्रित करने के उपरान्त इस संबंध में निष्कर्ष निकाले जा सकेंगे । शेष जांच निष्कर्षाधीन ।		
922	21.07.2014	अता.प्र.	94	4310	सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्यादित धामची (छतरपुर) का परिसमापन उपरान्त भूमि शासन को वापिस किया जाना ।	संस्था को परिसमापन में लाने एवं परिसमापन उपरांत शासकीय भूमि शासन को वापस करने के निर्देश दिये गये है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

जून-जुलाई 2014, सत्र में दिये गये आश्वासन

सहकारिता विभाग **दिनांक 21.07.2014**

आश्वासन क्रमांक	कार्यवाही का दिनांक	प्रश्न का प्रकार	प्रश्न संख्या	प्रश्न क्रं.	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
923	21.07.2014	अता.प्र.	102	4348	इंदौर स्थित इंदौर क्लाथ मार्केट गृह निर्माण सहकारी संस्था इंदौर की भूमि का अवैध रूप से विक्रय किये जाने की जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना ।	कलेक्टर, इंदौर से इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत गुणदोष के आधार पर निर्णय लिया जायेगा । जी हां । विवेचना में और भी अन्य आरोपीगणों के विरूद्ध चालानी साक्ष्य प्राप्त होते है तो कार्यवाही की जायेगी ।		
924	21.07.2014	अता.प्र.	108	4397	रीवा जिले के सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री महेन्द्र त्रिपाठी द्वारा अवैधानिक रूप से एल.एल.बी. डिग्री प्राप्त किये जाने की शिकायत पर निर्धारित अवधि में जांच कराई जाकर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना ।	जांच प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी । जांच तीन माह में कराई जावेगी ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

जून-जुलाई 2014, सत्र में दिये गये आश्वासन

गृह(पुलिस) विभाग

दिनांक 21.07.2014

आश्वासन क्रमांक	कार्यवाही का दिनांक	प्रश्न का प्रकार	प्रश्न संख्या	प्रश्न क्रं.	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
925	21.07.2014	परि.ता.	30	2774	(1) इंदौर एवं उज्जैन संभाग में वर्ष 2010 से 30 जून 2014 जेलों से शेष फरार कैदियों की शीघ्र गिरफ्तारी किया जाना। (2) जेल से फरार होने वाले कैदियों के लिए जेल में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की यथा विभागीय जांच पूर्ण कर कार्यवाही की जाना ।	(1) शेष फरार कैदियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिये पुलिस द्वारा सघन प्रयास किये जा रहे है । (2) शेष 18 अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय जांच जारी है ।		
926	21.07.2014	परि.ता.	54	3650	भिण्ड जिले की थाना उमरी दिनांक 17.03.2014 दर्ज धारा 307 भा.द.स. के आरोपियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करना एवं गंभीर प्रवृत्ति के अपराधियों के विरूद्ध विधि अनुरूप कार्यवाही किया जाना।	साक्ष्य के आधार पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी । अपराधियों के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है ।		
927	21.07.2014	परि.ता.	72	4042	जबलपुर निवासी डैंटल कॉलेज की छात्रा द्वारा आत्महत्या किये जाने के संबंध में फरार आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी कर कार्यवाही किया जाना ।	प्रकरण के आरोपी फरार है । इनकी तलाश के हरसंभव प्रयास किये जा रहे है। विवेचना जारी है ।		
928	21.07.2014	परि.ता.	86	4241	प्रदेश के विभिन्न्न शहरों में अपराधों के रोकथाम के लिए स्वीकृति प्राप्त सी.सी.टी.वी. कैमरों को स्थापित किया जाना ।	कार्यवाही प्रचलित है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

जून-जुलाई 2014, सत्र में दिये गये आश्वासन

गृह(पुलिस) विभाग **दिनांक 21.07.2014**

आश्वासन क्रमांक	कार्यवाही का दिनांक	प्रश्न का प्रकार	प्रश्न संख्या	प्रश्न क्रं.	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
929	21.07.2014	परि.ता.	95	4334	भोपाल जिले के बैरसिया विधान सभा क्षेत्र के थानों में विभिन्न पंजीबद्ध अपराधों के फरार आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी किया जाना ।	आरोपी सकूनत से फरार है, गिरफ्तार करने के हर-संभव प्रयास किये जा रहे है।		
930	21.07.2014	परि.ता.	97	4338	सीहोर जिले की पुलिस चौकी श्यामपुर का पुलिस थाना में उन्नयन कराया जाना ।	पुलिस चौकी श्यामपुर को थाना बनाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।		
931	21.07.2014	अता.प्र.	32	3305	नागदा जिला उज्जैन निवासी युवक का जावरा जिला रतलाम से अगवा कर हत्या किये जाने तथा मृतक का शव थाना सालमगढ़, राजस्थान से बरामद होने संबंधी प्रकरण की जांच कराई जाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना ।	इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस जावरा के द्वारा जांच की जा रही है । जांच उपरांत रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जावेगी ।		
932	21.07.2014	अता.प्र.	84	4243	बैतूल के थाना कोतवाली में दर्ज अपराध क्रमांक 653/11 की विवेचना में विलंब एवं लापरवाही के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध जांच कराई जाकर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना ।	प्रकरण में अधिकारी/कर्मचारी की लापरवाही के संबंध में जांच करायी जा रही है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

जून-जुलाई 2014, सत्र में दिये गये आश्वासन

गृह(पुलिस) विभाग **दिनांक 21.07.2014**

आश्वासन क्रमांक	कार्यवाही का दिनांक	प्रश्न का प्रकार	प्रश्न संख्या	प्रश्न क्रं.	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
933	21.07.2014	अता.प्र.	95	4316	उज्जैन जिले के थाना बिरलाग्राम में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 111/2014 के फरार आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी किया जाना ।	अपराध के आरोपीगण घटना दिनांक से फरार है, जिनकी गिरफ्तारी यथाशीघ्र किये जाने के हर संभव प्रयास किये जा रहे है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

जून-जुलाई 2014, सत्र में दिये गये आश्वासन

परिवहन विभाग **दिनांक 21.07.2014**

आश्वासन क्रमांक	कार्यवाही का दिनांक	प्रश्न का प्रकार	प्रश्न संख्या	प्रश्न क्रं.	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
934	21.07.2014	ता.प्र.	03	3618	इंदौर एवं धार रूट पर गुजरी और बगड़ी के लिये परमिट प्राप्त बसों का आवश्यक रूप से आवंटित परमिट के अनुसार परिवहन को सुनिश्चित कराया जाना ।	मै इस बात को और सुनिश्चित करूंगा कि गुजरी और बगड़ी दो स्थान है, वहां पर जिन बसों को रूट है, परमिट है वह बसें वहां से होकर जायें। मैं दोनों जगहों पर बसें भिजवाऊंगा ।		
935	21.07.2014	अता.प्र.	44	3672	इंदौर जिले में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की जांच हेतु केन्द्र खोले जाना ।	जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

जून-जुलाई 2014, सत्र में दिये गये आश्वासन

लोक सेवा प्रबंधन विभाग **दिनांक 21.07.2014**

आश्वासन क्रमांक	कार्यवाही का दिनांक	प्रश्न का प्रकार	प्रश्न संख्या	प्रश्न क्रं.	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
936	21.07.2014	ता.प्र.	07	4071	छिंदवाड़ा जिले की तहसील चौरई, चांद एवं बिछुआ में लोक सेवा गारंटी केन्द्रों से आवेदकों को खसरा बी-1 की नकल शीघ्र दिलाया जाना तथा आवेदन केन्द्रों में बिना जांच किये आवेदन पत्रों को निरस्त करने एवं निराकरण में हो रही अनियमितताओं की जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना।	आवेदन करते ही तत्काल आपको हम खसरा बी-1 की नकल देने का काम करेंगे, विचार कर रहे है । एक-एक जांच आपकी उपस्थिति में होगी जो गड़बड़ करेगा उसके खिलाफ कार्यवाही होगी ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

जून-जुलाई 2014, सत्र में दिये गये आश्वासन

वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग **दिनांक 21.07.2014**

आश्वासन क्रमांक	कार्यवाही का दिनांक	ध्यानाकर्षण सूचना	क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
937	21.07.2014	ध्यानाकर्षण सूचना	310	(1) रतलाम एवं उज्जैन जिले में बंद पड़ी शुगर मिलों का परिसमापन कराकर इन मिलों को आवंटित भूमि को उद्योग विभाग को सौंपा जाना एवं ऐसी भूमि पर नवीन उद्योगों की स्थापना कराई जाना । (2) उज्जैन जिले की बंद पड़ी महिदपुर शुगर मिल से अतिक्रमण हटाया जाना । (3) मंदसौर जिले की बंद पड़ी शुगर मिल के भूमि सिंगल टेण्डर पर नियम विरूद्ध नीलाम किये जाने की जांच कराई जाकर अनियमितता के दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना। (4) उज्जैन जिले की महिदपुर शुगर मिल का तांबा, लोहा, पाईप लाईन एवं अन्य बहुमूल्य सामग्री की चोरी की जांच एवं उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध सहकारिता विभाग के माध्यम से नियमानुसार कार्यवाही किया जाना ।	(1) हम आपकों अश्वास्त कराते है कि ये Industry Land हमारे पास वापिस आ जायें और हम कुछ न कुछ विभाग की तरफ से एक ऐसी पैरवी करे जहां आपके यहां उद्योग लग जायें । (2) अतिक्रमण हटाने का काम कलेक्टर से बात करके सात दिन में कोशिश होगी। (3) इतनी बड़ी जमीन, ऐसे जो कोडियों में बेची गई है जब समय आयेगा हम उसकी पूरी जांच करवायेंगे । (4) सहकारी विभाग के मा.मंत्री जी से बात करके इस विषय में उन्हे अवगत कराऊंगी ।		